फर्द अहकाम

घीसालाल बनाम छीतर...

A.C.R.A.M. (F.T.)
SHAHPURA (JAIPUR)

[redacted]

दावा - 188

नाम न्यायालय- [redacted]

केस संख्या 15/2017

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/9/25	वकील उभयपक्ष ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र तलबी पत्रावली जरिये प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त अदालती प्रकरण में आ. ता. पेशी 18.9.2025 नियत है एवं वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा होने से प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः नियत तारीख से पत्रावली तलब फरमाई जाकर वापिस ली जाय आदेश फरमाया जावे। सुना गया। मिसल तलब की गई। पत्रावली व प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। चूंकि वादी व प्रतिवादी के मध्य आपस में राजीनामा होने से प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते है एवं आदेशिका पर वादी व प्रतिवादी के हस्ताक्षर है, जिसे वकील उभयपक्ष द्वारा Identify किया गया है प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रा० पत्र विड्रो किये जाकर वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुनः आवश्यकता होने पर अथवा नये तथ्य प्रस्तुत होने पर नया वाद अथवा प्रतिवाद दायर करने की अनुमति के साथ उक्त वाद एवं प्रतिवाद विड्रो किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कर दी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

राजस्व वाद सं0-
घीसालाल पुत्र
शाहपुरा, जिला

न्यायालय :- सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)

शाहपुरा जिला जयपुर राज०

राजस्व वाद सं०- 15 /2017

घीसालाल पुत्र स्व० छोटू उम्र -70 वर्ष, जाति रैगर, निवासी धानौता तह० शाहपुरा, जिला जयपुर (राज०)

- वादी

बनाम

1. बंशीधर पुत्र कानाराम
2. धन्नाराम पुत्र कानाराम
3. बोदूराम पुत्र कानाराम
4. रामेश्वर पुत्र भैरूलाल
5. गुल्लाराम पुत्र भैरूलाल
6. मदनलाल पुत्र भैरूलाल

समस्त व्यस्क, जाति रैगर, निवासी ग्राम धानौता तह० शाहपुरा जिला जयपुर (राज०)

- प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

श्रीमान् जी,

सेवामें वाद पत्र दो प्रतियो में निम्न प्रकार पेश है :-

1. यहकि हाल आराजी खसरा नं०-308 रकबा 0.05 है०, 309 रकबा 0.03 है०, 310 रकबा 0.02 है०, 311 रकबा 0.06, 312 रकबा 0.07 है० कुल किता -5 रकबा 0.23 है० वाके ग्राम धानौता तह० शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित है जिसकी खातेदारी साबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता छोटू पुत्र कुशला कौम रैगर के नाम दर्ज रही है स्व० छोटू के एक पुत्र वादी घीसालाल तथा एक पुत्री मौहरी देवी वारिसान रहे है मौहरी